

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया (हनुमानगढ़)

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र :- 251 (ए) आर.टी.ए.

प्रार्थना -पत्र नम्बर 53 / 2025



काकासिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति कुम्हार निवासी संगरिया तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. प्रहलादराय पुत्र गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. जगदीश पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. महावीर पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. श्योकरण पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

—अप्रार्थीगण

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 5 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 15/10 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं प्रार्थी द्वारा चक 5 एनटीडब्ल्यू पं.नं. 177/167 मु.नं. 13 किला नम्बर 12, 19 प्रत्येक किला मे उत्तर से दक्षिण दिशा में किला नं. 13,18 के चिपते 16.5 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत प्रार्थना-पत्र पेश किया।

प्रार्थना-पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 ता 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 1892 दिनांक 01.08.2025 द्वारा पक्षकार आपस में सहमत नहीं होना व प्रार्थी को रास्ता अत्यधिक आवश्यकता होना एवं रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की गई।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नहीं की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना-पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होती है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक 5 एनटीडब्ल्यू में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्धा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी के रकबा में से चक 5 एनटीडब्ल्यू पं.नं. 177/167 मु.नं. 13 किला नम्बर 12, 19 प्रत्येक किला मे उत्तर से दक्षिण दिशा में किला नं. 13,18 के चिपते 16.5 फुट चौड़ा रास्ता डीएलसी की 2 गुणा राशि 15 दिवस में तहसील कार्यालय में नियमानुसार जमा करवाये तथा राशि जमा करवाये जाने के बाद प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत शुमार समझा जावे और इसका अंकन गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर चालू करवाया जावें। अप्रार्थी को जमा राशि का भुगतान उनके कब्जे अनुसार भू.अ.निरीक्षक की उपस्थिति में हल्का पटवारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित करावे, तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 6.3.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया



✓
(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया